सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्राङ्क / म. 16 /2024 दिनाङ्क : 17 .01.2024

प्रेषक,

प्रो. विधु द्विवेदी
अध्यक्ष, महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विश्वविद्यालय कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3121/2023 दिनांक 11 अगस्त, 2023 द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र की माँग संख्या-26 के सम्बन्ध में दर्ज करायी गयी आई.जी.आर.एस. शिकायत संख्या-15157170056478 के परिप्रेक्ष्य में महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें आपको कुलपति महोदय ने अध्यक्ष नामित किया है।

उक्त प्रकोष्ठ द्वारा अद्यतन की गयी कार्यवाही की सूचना से शीघ्रातिशीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे शासन को सूचना/आख्या प्रेषित की जा सके।

संलग्नक - यथोक्त।

17/1/2024

(राकेश कुमार)
आई.ए.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ -
   - (क) प्रो. विधु द्विवेदी - अध्यक्ष
   - (ख) प्रो. विद्या कुमारी चन्द्रा - सदस्य
   - (ग) डॉ. विशाखा शुक्ला - सदस्य
   - (घ) डॉ. नितिन आर्य - सदस्य
   - (ङ) श्रीमती ममता गुप्ता - सदस्य
3. पुस्तकाध्यक्ष/परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से कि क्रम संख्या-34 के क्रियान्वयन हेतु।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. उपकुलसचिव (प्रशासन)।
6. अधीक्षक (प्रशासन)।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)
आई.ए.एस.
कुलसचिव

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी

पत्रांक सं॰ - /2024

दिनाङ्क -23/01/2024

सेवा में,

समस्त महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी।

महोदय/महोदया,

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् पत्रांक संख्या 10/2024 परिप्रेक्ष में दिनांक 17.01.2024 के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की बैठक दिनांक 23.01.2024 को सम्पन्न हुई। जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुये -

1. प्रो॰ विधु द्विवेदी - अध्यक्ष Vidhu 23/01/2024
2. प्रो॰ विद्या कुमारी चन्द्रा - सदस्य Vidya 23/01/24
3. डॉ॰ विशाखा शुक्ल - सदस्य 23/01/2024
4. डॉ॰ नितिन कुमार आर्य - सदस्य
5. श्रीमती ममता गुप्ता - सदस्य

निर्णय :- छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से निम्न प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है, जो अग्रलिखित है।

प्रस्ताव 01- महिला सुरक्षा सेल की व्यवस्था हेतु स्थान का निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित किया जाय।

प्रस्ताव 02- विश्वविद्यालय के उपरान्त छात्र एवं छात्राओं हेतु अलग-अलग कामन रूम (सामान्य कक्ष) की व्यवस्था की जाय।

प्रस्ताव 03- विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए शौचालयों को व्यवस्थित एवं चिह्नित करवायें जाए।

प्रस्ताव 04- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षाओं में स्र्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाएं प्रदर्शन हेतु परीक्षा विभाग को सूचित किया जाय।

Vidhu

(प्रो॰ विधु द्विवेदी)
अध्यक्ष, महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अशुलिपिक, कुलसचिव।

Vidhu

(प्रो॰ विधु द्विवेदी)
अध्यक्ष, महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक 11 अगस्त, 2023

पत्रां [illegible] आ॰प्र॰ /2023

कार्यालय-ज्ञाप

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्रांक: 996/सत्तर-2023 दिनांक 21 जून, 2023 के क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र की मांग संख्या-26 के सम्बन्ध में दर्ज कराया गयी आई॰जी॰आर॰एस॰ शिकायत संख्या-IS157170056478 के परिप्रेक्ष्य में महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन अधोलिखित रूप में किया जाता है -

1. प्रो॰ विधु द्विवेदी
2. डॉ॰ विद्या कुमारी चन्द्रा
3. डॉ॰ विशाखा शुक्ला
4. डॉ॰ नितिन आर्य
5. श्रीमती ममता गुप्ता

प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि यथाशीघ्र बैठक कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

संलग्नक - यथोक्त।

11/8/2023

(राकेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।
2. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समिति के समस्त महानुभाव।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष/परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से कि [illegible] के क्रियान्वयन हेतु।
5. अधीक्षक (प्रशासन/सम्बद्धता)।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार)
कुलसचिव

WOMEN RIGHTS
GPS Map Camera
Varanasi, Uttar Pradesh, India
836/43-35, Brahmanand Colony, Tulsi Manas Mandir Colony, Naria, Varanasi, Uttar Pradesh 221005, India
Lat 25.286072°
Long 82.995367°
28/01/24 02:21 PM GMT +05:30
Google

<u>समस्या एवं समाधान</u>

<u>समस्याः 01</u> शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के द्वारा यह शिकायत मिलने पर कि वरिष्ठ छात्र उनके छात्रावास में अवैध रूप से रहते हैं एवं उनसे अनौपचारिक व्यवहार करते हैं।

<u>समाधान01</u> तत्काल प्राक्टरियल बोर्ड के माध्यम से उनके ऊपर कार्यवाही की गई और उन वरिष्ठ छात्रों को प्राक्टरियल बोर्ड के सुझाव एवं कुलपति के आदेश से बाहर निकाल दिया गया।

<u>समस्याः02</u> शास्त्री तृतीय वर्ष के कुछ छात्राओं के कक्षा में अनुपस्थित होने पर, कारण स्पष्ट कर की गयी कार्यवाही।

<u>समाधान02</u> महिला काउंसिल के द्वारा छात्राओं से बात कर वास्तविक समस्या का पता लगाया गया, तथा उनके समाधान के लिए गठित समिति के माध्यम से उन छात्रों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई।

<u>विशेषः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एवं आवश्यक विधि कार्यो के लिए विश्वविद्यालय आरोप लगाने वाले एवं आरोपित छात्र एवं छात्राओं के नाम फोटो विडियो और अन्य सम्बधित तथ्यो को विश्वविद्यालय गोपनीय रखता है।</u>

निस्तारित

दिनांक 21.01.2024

विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं०वि०वि० वाराणसी

सेवा में,

श्रीमान् कुलसचिव जी,
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

विषयः- महिला सहकर्मी द्वारा फर्जी आरोपों के आधार पर उत्पीड़न एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी आपके अधीनस्थ परिचारक पद पर कार्यरत कर्मचारी है। विगत दिनांक 30.12.2023 को मेरी महिला सहकर्मी कुमारी बबिता कन्नौजिया द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से अज्ञात कारणों से कार्यालयीय कार्य के दौरान मेरे साथ गाली-गलौज एवं घातक रूप से धक्का-मुक्की की गयी थी। इसके साथ ही आरोपों में फसाने एवं जीने नही दूँगी की चेतावनी भी दी गयी थी।

प्रार्थिनी ने उक्त के सम्बन्ध में आपके समक्ष सनिवय अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। इस आधार पर विनयाधिकारी महोदय द्वारा दोनों पक्षों को उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति न करने की हिदायत के साथ ही आपसी समझौते का परामर्श दिया था। प्रार्थिनी इस हेतु प्रस्तुत थी परन्तु कुमारी बबिता कन्नौजिया प्रकरण के समझौते से पीछे हट गयी।

अतः आप से प्रार्थना है कि कुमारी बबिता कन्नौजिया द्वारा मेरे प्रति कार्यालयीय समय में पूर्व नियोजित मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करने अथवा यथोचित अन्य निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

सादर,

प्रार्थिनी

उर्मिला देवी

21.01.2024

प्रतिलिपि- विनयाधिकारी महोदय, सं०सं०वि०वि०, वाराणसी को यथोचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत

29-1-24

अनुस्मारक पत्र !

दिनांक
30/01/2024

निस्तारित
[illegible]

विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं०सं०वि०वि० वाराणसी

सेवा में,

आदरणीय कुलसचिव महोदय
सं० सं० वि० वि० वाराणसी,

विषय :- प्रार्थिनी दिव्यांग कर्मी के साथ कार्यालय में की गई मार-पीट दुर्व्यवहार, अभद्रता एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये जाने से संबंधित लिखित शिकायत पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है प्रार्थिनी विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ में कार्यरत दिव्यांग कर्मी हूं, मेरे साथ कार्यालय अवधि में की गई मार-पीट अमर्यादित व्यवहार एवं जाति सूचक शब्दों के साथ किये गये गाली गलौज में धमकी पूर्वक किये गये दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत दिनांक-31/12/23 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। प्रार्थिनी के साथ कुलसचिव कार्यालय में कार्यरत श्रीमति अमिला देवी द्वारा विधि प्रकोष्ठ कार्यालय में द्वारा किये गये जबरन मार-पीट से दिव्यांग होने के कारण शारीरिक रूप से दुर्बल होने से गंभीर शारीरिक कष्ट के मानसिक पीड़ा एवं सुरक्षा के कारणों से आतंकित भयभीत हूं।

प्रार्थिनी द्वारा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत आपके समक्ष न्याय हेतु प्रेषित किया गया था परन्तु प्रशासनिक स्तर से कार्यालयीय अनुशासनिक व्यवस्था एवं दण्ड प्रविधानों के अनुसार किसी प्रकार की कार्यवाही आहलन किये जाने से प्रार्थिनी भयभीत आतंकित एवं अपने को असुरक्षित कर रही हूं।

कृपया प्रार्थिनी (दिव्यांग कर्मी) से जबरन कार्यालयीय मर्यादा एवं अनुशासन व्यवस्था के विपरीत किये गये दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत का संज्ञान लेने की कृपा के साथ आरोपित के विरुद्ध अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर -

संलग्नक :-

1- पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।
2- दिव्यांग सर्टिफिकेट की छायाप्रति,
3- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

प्रतिलिपि :-

कुमारी कुलसचिव / कुलपति जी,
विनयाधिकारी महोदय,

[illegible] 29.1.24

प्रार्थिनी
[illegible]
कु० नमिता कन्नौजिया
(परिचा०) विधि प्रकोष्ठ,
सं० सं० वि० वि० वाराणसी,

31.12.2023

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
सं० सं० वि० वि० वाराणसी,

विषय :- दिव्यांग कर्मी के साथ मार-पीट, अभद्र व्यवहार एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कु० पवित्र कन्नौजिया विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ विभाग में कार्यरत हूँ। मैं प्रार्थिनी दिव्यांग श्रेणी एवं अनुसूचित जाति से संबंधित हूँ। रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत उर्मिला पटेल ने एक सामान्य बात-चीत के दौरान मेरे विभाग में आकर अधिकारी एवं कर्मचारियों के समक्ष मेरे बाल घसीट कर मुझे मारने-पीटने एवं गाली-गलौज के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगी। मौके पर पहुँच कर कर्मचारियों ने मामले को शान्त कराया।

मार-पीट के कारण सिर में चोट लगने से तेज दर्द हो रहा है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति की प्रार्थिनी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना मान-सम्मान को ठेस पहुँचाने के दृष्टिगत श्रीमती उर्मिला पटेल के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

ok

[signature] 31/12/23

आभार—

प्रतिलिपि :- सचिव कुलपति (प्राप्त किया 31/12/23 01:10 pm)
कुलाधिकारी महोदया। [signature] 31/12/23

प्रार्थिनी -
[signature]
कु० पवित्र कन्नौजिया
(संवि०) विधि प्रकोष्ठ
सं० सं० वि० वि०
वाराणसी।

संलग्नक :-
1- दिव्यांग सर्टिफिकेट की छाया प्रति।
2- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India

Disability Certificate

Issuing Medical Authority, Gorakhpur, Uttar Pradesh

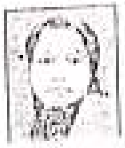

Date: 25/02/2021

Certificate No.: UP5720619910065293

This is to certify that I/we have carefully examined Kum. **Bavita Kannaujiya**, Daughter of Shri **Harish Chandra**, Date of Birth 08/05/1991, Age **29**, Female, Registration No. **0957/00000/2010/0831679**, resident of House No. **Vill Bal Bajung**, Post **Chauri Chaura - 273201**, Sub District **Chauri Chaura**, District **Gorakhpur**, State / UT **Uttar Pradesh**, whose photograph is affixed above, and I am/we are satisfied that:

(A) She is a case of **Locomotor Disability**
(B) The diagnosis in her case is **PPRP Lt Lower Limb Cert No- 406 Dt. 19.11.2020**
(C) She has **50%**(in figure) **Fifty** percent(in words) Permanent Disability in relation to her BONE DISEASE as per the guidelines (Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under RPwD Act, 2016 notified by Government of India vide S.O. 76(E) dated 04/01/2018).

The applicant has submitted the following document(s) as proof of residence:

Nature of Document(s): Aadhaar card

Signature / Thumb Impression of the Person with Disability

Signatory of notified Medical Authority Member(s)

Issuing Medical Authority, Gorakhpur, Uttar Pradesh

This Card/Certificate is meant to certify the disability of the person and is not an instrument for ID/Address Proof for any purpose.

उत्तर प्रदेश शासन

ई-डिस्ट्रिक्ट - जनसुविधा केन्द्र तहसील चौरी चौरा जनपद : गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला गोरखपुर
तहसील चौरी चौरा
आवेदन क्र० 058/Caste11/CC095650
प्रमाणपत्र क्र० [illegible]788

जारी दिनांक: 20/10/2011

प्रमाणित किया जाता है कि	कु. सविता कन्नौजिया
पुत्र/पुत्री	श्री हरिश्चन्द्र कन्नौजिया
माता का नाम	श्रीमती गिरजा देवी
निवासी	बाल बुजुर्ग
ग्राम	बाल बुजुर्ग
तहसील	चौरी चौरा
जिला	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश राज्य की धोबी जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश ,1950 (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ संविधान (अनुसूचित जाति,उत्तर प्रदेश)आदेश ,1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

कु. सविता कन्नौजिया तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के मकान नं. बाल बुजुर्ग ग्राम बाल बुजुर्ग मोहल्ला तहसील चौरी चौरा जनपद गोरखपुर में सामान्यतया रहता है।

जारी कर्ता केन्द्र: जन सुविधा केन्द्र
पद: [illegible] Singh, केन्द्र प्रभारी
स्थान : Bhopur
दिनांक:
हस्ताक्षर एवं मुहर

Chaturvedi Anil
Digitally Signed by Chaturvedi Anil
O=Revenue,
OU=Gorakhpur,
C=IN,CN=Chaturvedi Anil, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
चौरी चौरा,गोरखपुर
दिनांक: 20/10/2011

यह प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रानिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा जारी किया गया है तथा डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित है-2011
जनसुविधा केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र. फिर प्रमाण-पत्र क्र. अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

निस्तारित

D.F.A. विनयाधिकारी

कृपया D.F.A. प्रारूप अवलोकनार्थ स्वीकृतार्थ हेतु प्रस्तुत है

30/1/24

नोटिस

सेवा में

उज्जवल
पुत्र श्री प्रेम किशोर द्विवेदी
राविन मौदहा, हमीरपुर।
संस्कृत विद्या विभाग, आर्चाय तृतीय सेमेस्टर
सं॰सं॰वि॰वि॰ वाराणसी।

विषय : विश्वविद्यालय कर्मी से गाली गलौज व मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में।

सूच्य हो कि विनय शंकर गोड़ (परिचारक) छात्रावास कार्यालय ने पत्र के माध्यम से शिकायत की है कि छात्र उज्जवल पुत्र श्री प्रेम किशोर द्विवेदी, राविन मौदहा, हमीरपुर (उ॰प्र॰) ने छात्रावास कार्यालय में जाकर उसके साथ अभद्रता, गाली-गलौज व जूता से मारने जैसे कृत्य किया गया है, जिस पर मुख्य प्रतिपालक द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु दिनांक 29-01-2024 को पत्र अग्रसारित किया गया है।

अतः उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिवसों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायें, अन्यथा की स्थिति में आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

विनयाधिकारी
सं॰सं॰वि॰वि॰वाराणसी

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ हेतु।
2. आशुलिपिक कुलसचिव।
3. मुख्य प्रतिपालक, सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी।
4. विनय शंकर गोड़, छात्रावास सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी।
5. सुरक्षाधिकारी।

विनयाधिकारी
सं॰सं॰वि॰वि॰वाराणसी

सेवा मे,

निस्तारित

मुख्य प्रतिपालक छात्रावास
सं० सं० वि० वि० वाराणसी

विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

महोदय, कृपया आप को अवगत कराना है, कि आचार्य तृतीय सेमेस्टर संस्कृत विद्या विभाग का छात्र उज्जवल पुत्र श्री प्रेम किशोर द्विवेदी जिनको नवीन छात्रावास का कक्ष संख्या-05 पाँच आवंटित हो चुका है। किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक 29/01/24 को छात्रावास कार्यालय में आ कर माँ-बहन कि गाली मुझे दिया गया मेरे पुछने पर गाली क्यो दे रहे हैं, तो उन्होंने गाली देते हुये कहा कि बाद मे तुम्हे लातो ~~जू~~ जुते से स्वागत करूगा।

अतः उपरोक्त छात्रो द्वारा मुझ कर्मचारियो का अपमान / अपशब्दों से करना शोभनीय नही है, उक्त छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना चाहें। जिससे हम कर्मचारी निर्भिक हो कर अपने कर्तव्यो का निर्वहन कर सके।

सादर

प्रार्थी-
विनय शंकर गौड़
पद- परिचारक
छात्रावास
सं० सं० वि० वि०
वाराणसी।

रजिस्ट्रार जी
उक्त छात्र के
अनुशासनात्मक नोटिस
कार्यवाही हेतु जारी करें
दें हा प्रकरण
29.1.24

विनयाधिकारी जी
अनुशासनात्मक
कार्यवाही हेतु
विज्ञापित
29.01.24

(05) (31)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

छात्रावास आवंटन हेतु शपथ प्रपत्र

नाम उज्ज्वल सत्र –

पिता का नाम श्री प्रेमकिशोर त्रिवेदी

स्थायी पता रिहन मौदहा & हमीरपुर उत्तर प्रदेश 210507

मोबाइल नं0 8400 513983 आधार नं0 4006 8153 4376

विभाग का नाम संस्कृतविद्या कक्षा आचार्य खण्ड तृतीय सेमेस्टर

छात्रावास शुल्क विवरण – रसीद सं0 [illegible]/28 रु0 1800 दिनांक 21.12.23

(रसीद की एक प्रति साथ में संलग्न करें)

घोषणा

मैं उज्ज्वल एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ। कि –

1– उपर्युक्त विवरण सही है। इसमें कोई त्रुटि पाये जाने पर मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

2– मैं अनुशासन सम्बन्धी समस्त निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी।

3– मैं छात्रावास में हीटर का प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी। हीटर का प्रयोग करते पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय जो भी कार्यवाही करेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

4– मैं शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ कि वार्षिक परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद स्वतः कक्ष रिक्त कर दूंगा/दूँगी।

5– मैं यह भी शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ कि किसी भी कर्मचारी से अभद्रता नहीं करूँगा/करूँगी और न किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए दबाव दूँगा/दूँगी तथा मैं अपने किसी नजदीकी को कक्ष में नहीं रखूँगा/रखूँगी।

6– मैं अपने सभी वस्तुओं का पूर्ण रूप से सुरक्षा करूँगा/करूँगी। यदि किसी प्रकार मेरा कोई वस्तु खो जाता है तो मैं किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानूंगा/मानूँगी।

छात्रावास के कक्षों में छात्रों को प्राप्त सामग्री का विवरण

चौकी, मेज, कुर्सी, खूँटी, बल्ब होल्डर, स्विच।

मैंने उपर्युक्त सामग्रीयुक्त कक्ष प्राप्त किया, छात्रावास रिक्त करते समय उपर्युक्त सामग्री न होने या क्षतिग्रस्त होने पर उसका मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी तथा नियमानुसार क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी।

दिनांक.........

नोट – आधार/नामांकन की छायाप्रति प्रति साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।)

छात्र का दो फोटो

उज्ज्वल

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

श्री/कु0/श्रीमती......... पुत्र श्री......... को

छात्रावास का कक्ष सं0 .... आवंटित किया जाता है।

[illegible] 21.12.23

हस्ताक्षर प्रतिपालक

कु०स० 1120/24
01/01/24

31/12/2023

सेवा में,

01/2024 विनयाधिकारी
[signature]
01/11/2024

कुलसचिव / कुलपति जी,
सं० सं० वि० वि० वाराणसी,

विषय :- दिव्यांग कर्मी के साथ मार-पीट, अभद्र व्यवहार एवं जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कु० बबिता कन्नौजिया विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ विभाग में कार्यरत हूँ। मैं प्रार्थिनी दिव्यांग श्रेणी एवं अनुसूचित जाति से संबंधित हूँ। शनिवार कार्यालय में श्रीमति उर्मिला पटेल ने एक सामान्य बात-चीत के दौरान मेरे विभाग में आकर अधिकारी एवं कर्मचारियों के समक्ष मेरे बाल घसीट कर मुझे मारने-पीटने एवं गाली गलौज के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगी। मौके पर पहुँच कर कर्मचारियों ने मामले को शान्त कराया।

मार-पीट के कारण सिर में चोट लगने से तेज दर्द हो रहा है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति की प्रार्थिनी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना मान-सम्मान को ठेस पहुँचाने के दृष्टिगत श्रीमती उर्मिला पटेल के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

निस्तारित

[signature]
विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं०वि०वि० वाराणसी

आभार—

प्रतिलिपि — सचिव कुलपति।
विनयाधिकारी महोदय,।

प्रार्थिनी
[signature]
कु० बबिता कन्नौजिया
(संविदा) विधि प्रकोष्ठ
सं० सं० वि० वि०
वाराणसी।

संलग्नक :-
1. दिव्यांग सर्टिफिकेट की छाया प्रति।
2- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

[signature]
20-1-24

Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India

Disability Certificate

Issuing Medical Authority, Gorakhpur, Uttar Pradesh

Certificate No.: UP5720619910065293

Date: 25/02/2021

This is to certify that I/we have carefully examined Kum. **Bavita Kannaujiya**, Daughter of Shri **Harish Chandra**, Date of Birth **08/05/1991**, Age **29**, Female, Registration No. **0957/00000/2010/0831679**, resident of House No. **Vill Bal Bujurg, Post Chauri Chaura - 273201**, Sub District **Chauri Chaura**, District **Gorakhpur**, State / UT **Uttar Pradesh**, whose photograph is affixed above, and I am/we are satisfied that:

(A) She is a case of **Locomotor Disability**
(B) The diagnosis in her case is **PPRP Lt Lower Limb Cert No- 406 Dt. 19.11.2020**
(C) She has **50%**(in figure) **Fifty** percent(in words) Permanent Disability in relation to her BONE DISEASE as per the guidelines (Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under RPwD Act, 2016 notified by Government of India vide S.O. 76(E) dated 04/01/2018).

The applicant has submitted the following document(s) as proof of residence:

Nature of Document(s): Aadhaar card

Bavita

Signature / Thumb Impression of the Person with Disability

Signatory of notified Medical Authority Member(s)

Issuing Medical Authority, Gorakhpur, Uttar Pradesh

This Card/Certificate is meant to certify the disability of the person and is not an instrument for ID/Address Proof for any purpose.

उत्तर प्रदेश शासन

ई-डिस्ट्रिक्ट – जनसुविधा केन्द्र तहसील चौरी चौरा जनपद : गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला गोरखपुर
तहसील चौरी चौरा
आवेदन क्र० 058/Caste11/CC095650
प्रमाणपत्र क्र० 580441104788

जारी दिनांक: 20/10/2011

प्रमाणित किया जाता है कि	कु. बबिता कन्नौजिया
पुत्र/पुत्री	श्री हरिश्चन्द्र कन्नौजिया
माता का नाम	श्रीमती गिरजा देवी
निवासी	,बाल बुजुर्ग
ग्राम	बाल बुजुर्ग
तहसील	चौरी चौरा
जिला	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश राज्य की धोबी जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश ,1950 (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति,उत्तर प्रदेश)आदेश ,1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रारूप में मान्यता दी गयी है।

कु. बबिता कन्नौजिया तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के मकान नं. बाल बुजुर्ग ग्राम बाल बुजुर्ग मोहल्ला तहसील चौरी चौरा जनपद गोरखपुर में सामान्यतया रहता है।

जारी कर्ता केन्द्र: जन सुविधा केन्द्र
पद: Ramlal Singh, केन्द्र प्रभारी
स्थान : Bhaupur
दिनांक:
हस्ताक्षर एवं मुहर

Chaturvedi Anil — Digitally Signed by Chaturvedi Anil O=Revenue, OU=Gorakhpur, C=IN,CN=Chaturvedi Anil, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
चौरी चौरा,गोरखपुर
दिनांक: 20/10/2011

यह प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रानिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्तांतरित है।
सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र. फिर प्रमाण-पत्र क्र. अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

31/12/2023

सेवा में,

कुलपति / कुलपति जी,
सं० सं० वि० वि० वाराणसी,

विषय :- दिव्यांग कर्मी के साथ मार-पीट, अभद्र व्यवहार एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कु० पवित्र कनौजिया विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ विभाग में कार्यरत हूं। मैं प्रार्थिनी दिव्यांग श्रेणी एवं अनुसूचित जाति से संबंधित हूं। रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत उर्मिला पटेल ने एक सामान्य बात-चीत के दौरान मेरे विभाग में आकर अधिकारी एवं कर्मचारियों के सामने चोटी बाल घसीट कर मुझे मारने-पीटने एवं गाली-गलौज के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगी। मौके पर पहुंच कर कर्मचारियों ने मामले को शान्त कराया।

मार-पीट के कारण सिर में चोट लगने से तेज दर्द हो रहा है। अतः विनम्र अनुरोध है कि दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति की प्रार्थिनी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने के उचित श्रीमती उर्मिला पटेल के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

निस्तारित
[signature] 15-1-24

विधि अधिकारी,
सम्पूर्णानन्द सं०वि०वि० वाराणसी

आभार—

प्रतिलिपि :- सचिव कुलपति।
कुलसचिव महोदय।

प्रार्थिनी
[signature]
कु० पवित्र कनौजिया
(पटि०) विधि प्रकोष्ठ
सं० सं० वि० वि०
वाराणसी।

संलग्नक :-
1. दिव्यांग सर्टिफिकेट की छाया प्रति।
2. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India

Disability Certificate

Issuing Medical Authority, Gorakhpur, Uttar Pradesh

Certificate No.: UP5720619910065293 **Date: 25/02/2021**

This is to certify that I/we have carefully examined Kum. **Davita Kannaujiya**, Daughter of Shri **Harish Chandra**, Date of Birth **08/05/1991**, Age **29**, Female, Registration No. **0957/00000/2010/0031679**, resident of House No. **VIII Dal Bujurg, Post Chauri Chaura - 273201**, Sub District **Chauri Chaura**, District **Gorakhpur**, State / UT **Uttar Pradesh**, whose photograph is affixed above, and I am/we are satisfied that:

(A) She is a case of **Locomotor Disability**
(B) The diagnosis in her case is **PPRP Lt Lower Limb Cert No- 406 Dt. 19.11.2020**
(C) She has **50%**(In figure) **Fifty** percent(In words) Permanent Disability in relation to her BONE DISEASE as per the guidelines (Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under RPwD Act, 2016 notified by Government of India vide S.O. 76(E) dated 04/01/2018).

The applicant has submitted the following document(s) as proof of residence:

Nature of Document(s): Aadhaar card

Signature / Thumb Impression of the Person with Disability

Signatory of notified Medical Authority Member(s)

Issuing Medical Authority, Gorakhpur, Uttar Pradesh

This Card/Certificate is meant to certify the disability of the person and is not an instrument for ID/Address Proof for any purpose.

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश शासन

ई-डिस्ट्रिक्ट - जनसुविधा केन्द्र तहसील चौरी चौरा जनपद : गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला गोरखपुर
तहसील चौरी चौरा
आवेदन क्र० 058/Caste11/CC095650
प्रमाणपत्र क्र० 58044111007[illegible]

जारी दिनांक: 20/10/2011

प्रमाणित किया जाता है कि	कु. बबिता कन्नौजिया
पुत्र/पुत्री	श्री हरिश्चन्द्र कन्नौजिया
माता का नाम	श्रीमती गिरजा देवी
निवासी	,बाल बुजुर्ग
ग्राम	बाल बुजुर्ग
तहसील	चौरी चौरा
जिला	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश राज्य की धोबी जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश ,1950 (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति,उत्तर प्रदेश)आदेश ,1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

कु.बबिता कन्नौजिया तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के मकान नं.,बाल बुजुर्ग ग्राम बाल बुजुर्ग मोहल्ला तहसील चौरी चौरा जनपद गोरखपुर में सामान्यतया रहता है।

जारी कर्ता केन्द्र: जन सुविधा केन्द्र
पद: [illegible]pal Singh, केन्द्र प्रभारी
स्थान : Bhaupur
दिनांक:
हस्ताक्षर केन्द्र प्रभारी

Chaturvedi Anil
Digitally Signed by Chaturvedi Anil O=Revenue, OU=Gorakhpur, CnIN,CN=Chaturvedi Anil, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
चौरी चौरा,गोरखपुर
दिनांक: 20/10/2011

[illegible] डिजिटल [illegible] हस्ताक्षरित [illegible]-2011
[illegible] द्वारा प्रमाणित किया गया है।
सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। ... आवेदन क्र. फिर प्रमाण-पत्र क्र. अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।
[illegible] http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र. फिर प्रमाण-पत्र क्र. अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

30/01/2024

विनयाधिकारी

30/12/2023

सेवा में,

श्रीमान् कुलसचिव जी,
सं0सं0वि0वि0, वाराणसी।

विषय : महिला सहकर्मी द्वारा फर्जी आरोपों के आधार पर उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी आपके कार्यालय में परिचारक पद पर कार्यरत हूँ। प्रतिदिन की तरह गत दिनांक 30.12.2023 को प्रार्थिनी कार्यालयीय प्रपत्र लेने हेतु सामान्य विभाग के डिस्पैच कक्ष में गयी हुयी थी। इस मध्य समीप विधि प्रकोष्ठ में कार्यरत कुमारी बबिता कन्नौजिया ने पीछे से मुझे सम्बोधित कर भद्दी-भद्दी गाली देने लगी। अचानक इस प्रकार की घटना से मैं घबरा गयी और सामान्य विभाग में चली गयी। लौटते समय प्रतीक्षा कर रही कुमारी बबिता कन्नौजिया ने पूर्व से अधिक भद्दी गाली मुझे देने लगी। मैंने कारण पूछा तो बिना कारण बताये कहने लगी की तुमको मैं ऐसे आरोपों में फसा दुंगी की तुम्हारी जमानत तक नहीं होगी। यह सुनने के बाद मेरे आस-पास कर्मचारी भाई एकत्रित हो गये। कर्मचारियों को समीप आता देखकर पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से कुमारी बबिता कन्नौजिया ने एक हाथ से मेरे बाल को और दूसरे हाथ से मेरे जैकेट को पकड़कर जोर-जोर से धक्का देने लगी। यदि कर्मचारी भाई बीच-बचाव न करते तो कुमारी बबिता कन्नौजिया द्वारा किये गये आघात से मेरा सिर दिवाल से तेजी से टकरा जाता और मुझे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता था। इस घटना के तुरन्त बाद कुमारी बबिता कार्यालय में प्रथम तल पर आकर मुझसे कहने लगी कि यदि तुमने कोई शिकायत की तो इससे भी बुरा हाल करवा दुंगी तुम्हें जीने नहीं दुंगी। इस घटना से प्रार्थिनी एवं पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। कु0 बबिता कन्नौजिया कभी भी मेरे ऊपर प्राण घातक हमला कर या करवा सकती हैं।

अतः आप से करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के ऊपर कार्यालयीय कार्य के दौरान जानबूझकर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के विरुद्ध कुमारी बबिता कन्नौजिया के प्रति समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे की प्रार्थिनी की रक्षा हो सके एवं उक्त घटना की पुनरावृत्ति भी न हो।

ससम्मान –

निस्तारित

20-1-24

15-1-24

विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं0वि0वि0 वाराणसी

प्रार्थिनी
उर्मिला देवी
30-12-2023
(उर्मिला देवी)
परिचारक, कुलसचिव
कार्यालय, सं0सं0वि0वि0, वाराणसी

कुमारी बबिता कन्नौजिया परिचारिका, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्रीमती उर्मिला देवी परिचारका सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के आपसी द्वन्द के शान्तिपूर्ण विधि से निस्तारण हेतु समझौता पत्र

समक्ष - विनयाधिकारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रथम पक्ष- कुमारी बबिता कन्नौजिया परिचारिका सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने विनयाधिकारी महोदय को गत दिनांक 30.12.2023 को केन्द्रीय कार्यालय कक्ष में श्रीमती उर्मिला देवी से हुए आपसी द्वन्द के सम्बन्ध में सम्यक् जानकारी मौखिक रूप से दी। विनयाधिकारी महोदय ने प्रकरण के शान्तिपूर्ण निस्तारण हेतु आपसी समझौते का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव पर कुमारी बबिता कन्नौजिया ने बिना किसी जोर जबरदस्ती के एवं स्वस्थ्य मानसिकता के साथ द्वन्द को निस्तारित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की और यह निवेदन किया कि श्रीमती उर्मिला देवी भविष्य में उक्त घटना की पुरावृत्ति न करें। कु॰ बबिता कन्नौजिया ने श्रीमती उर्मिला देवी से कष्ट के लिए क्षमा मांगी। यह व्यक्त किया कि विनयाधिकारी महोदय के प्रत्येक आदेश का अनुपालन करूँगी।

द्वितीय पक्ष- श्रीमती उर्मिला देवी परिचारिका, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने विनयाधिकारी महोदय को गत दिनांक 30.12.2023 को केन्द्रीय कार्यालय कक्ष में कु॰ बबिता कन्नौजिया से हुए आपसी द्वन्द के सम्बन्ध में सम्यक् जानकारी मौखिक रूप से दी। विनयाधिकारी महोदय ने प्रकरण में शान्तिपूर्ण निस्तारण हेतु आपसी समझौते का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव पर श्रीमती उर्मिला देवी ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान की और कु॰ बबिता कन्नौजिया से कष्ट हेतु क्षमा मांगी। यह व्यक्त किया कि विनयाधिकारी महोदय के प्रत्येक आदेश का अनुपालन करूँगी।

समझौता - दोनों पक्षों ने एक दूसरे से कष्ट के लिए क्षमा मांगी और दोनों पक्षों ने भविष्य में उक्त प्रकार की घटना न हो इस पर एक दूसरे को क्षमा प्रदान की गयी। इस प्रकरण में एक दूसरे के प्रति अन्यत्र कोई विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी और यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो उसे प्रत्यावर्तित कर लिया जायेगा। इस प्रकार प्रकरण शान्तिपूर्ण विधि से निस्तारित किया जाता है।

3.1.23

प्रो० दिनेश कुमार गर्ग
चीफ प्राक्टर (विनयाधिकारी)

दूरलेख : ''श्रुतम्''
दूरभाष- 9450229104, 7905528566
E-mail : dr.dkgarg000@yahoo.in
आचार्य, प्राचीन राजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विभाग
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी-२२१००२

पत्राङ्क प्रा०न्या०-141/2023

दिनाङ्क 17-08-2023

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक,

थाना-चेतगंज पुलिस कमिश्नरेट,

वाराणसी

विषयः- अराजक तत्वों के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संलग्न पत्रांक नि.वि.373/23 दिनांक 03.08.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री शशीधर तिवारी ऊर्फ गुड्डू तिवारी एवं दीपक पाण्डेय (पूर्व छात्र) के द्वारा नशे की हालत में निर्माण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों एवं ठेकेदारों से गाली गलौज एवं सरकारी कार्य में बाधे डालना व आराजकता फैलाने के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करने का कष्ट करें।

अतः उपर्युक्त का संज्ञान लेते हुए श्री शशीधर तिवारी ऊर्फ गुड्डू तिवारी एवं दीपक पाण्डेय (पूर्व छात्र) विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।

O/C

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ। 18/8/23 11.55 AM
2. आशुलिपिक कुलसचिव। 18/08/23
3. अभियन्ता सं.सं.वि.वि.,वाराणसी। 18.8.23
4. सुरक्षाधिकारी, सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

18/08/2023

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।

प्रो० दिनेश कुमार गर्ग
चीफ प्राक्टर (विनयाधिकारी)

दूरलेख : ''श्रुतम्''
दूरभाष : 9450229104, 7905528566
E-mail : dr.dkgarg000@yahoo.in
आचार्य, प्राचीन राजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विभाग
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-२२१००२

[illegible] 141/2023 — दिनांक 17-08-2023

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक,
थाना-चेतगंज पुलिस कमिश्नरेट,
वाराणसी

विषयः- अराजक तत्वों के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संलग्न पत्रांक नि.वि.373/23 दिनांक 03.08.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री शशीधर तिवारी ऊर्फ गुड्डू तिवारी एवं दीपक पाण्डेय (पूर्व छात्र) के द्वारा नशे की हालत में निर्माण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों एवं ठेकेदारों से गाली गलौज एवं सरकारी कार्य में बाधा डालना व अराजकता फैलाने के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करने का कष्ट करें।

अतः उपर्युक्त का संज्ञान लेते हुए श्री शशीधर तिवारी ऊर्फ गुड्डू तिवारी एवं दीपक पाण्डेय (पूर्व छात्र) विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक कुलसचिव।
3. अभियन्ता सं.सं.वि.वि., वाराणसी।
4. सुरक्षाधिकारी, सं.सं.वि.वि., वाराणसी।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

17/08/23

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

D.E.A.

विनयाधिकारी जी
आपका D.E.A. प्रारूप अवलोकनार्थ / स्वीकृतार्थ
हेतु प्रस्तुत है।
[illegible] 17.8.23
[illegible] 17.8.23

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक,

थाना-चेतगंज पुलिस कमिश्नरेट,

वाराणसी

विषयः- अराजक तत्वों के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संलग्न पत्रांक नि.वि.373/23 दिनांक 03.08.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री शशीधर तिवारी ऊर्फ गुड्डू तिवारी एवं दीपक पाण्डेय (पूर्व छात्र) के द्वारा नशे की हालत में निर्माण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों एवं ठेकेदारों से गाली गलौज एवं सरकारी कार्य में बाधे डालना व आराजकता फैलाने के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करने का कष्ट करें।

अतः उपर्युक्त का संज्ञान लेते हुए श्री शशीधर तिवारी ऊर्फ गुड्डू तिवारी एवं दीपक पाण्डेय (पूर्व छात्र) विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक कुलसचिव।
3. अभियन्ता सं.सं.वि.वि., वाराणसी।
4. सुरक्षाधिकारी, सं.सं.वि.वि., वाराणसी।
5. सम्बद्ध पत्रवाली।

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक 1नि.1वि, 373/23

दिनांक 3-8-23

सेवा में,

मुख्य विनयाधिकारी जी,
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

विषयः निर्माण विभाग में अराजकता फैलाने एवं गाली गलौज देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 01/08/2023 को **श्री शशिधर तिवारी उर्फ गुड्डु तिवारी तथा श्री दीपक पाण्डेय (पूर्व छात्र)** शराब का सेवन कर निर्माण विभाग कार्यालय में आकर अधिकारियों, कर्मचारियों एवं तत्समय उपस्थित ठीकेदारों के सम्बन्ध में गाली–गलौज कर पूरे विभाग में आराजकता फैलाने लगे जिससे कर्मचारी भयाक्रान्त हो गये और इस प्रकार सरकारी कार्य में बाधा पहुँचायी गयी।

अतः विश्वविद्यालय में शान्तिपूर्ण माहौल बनाने तथा गाली–गलौज एवं अराजकता रोकने हेतु सम्बन्धित के खिलाफ यथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

वि० अभियंता
सं०सं०वि०वि०,वाराणसी

निस्तारित

विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं०वि०वि० वाराणसी

सेवा में

कुलसचिव
श्रीमान ~~मुख्य~~ [illegible] महोदय जी
सं. सं. वि. वि. वाराणसी

कु.स.०/607/2024
30/01/24

विषय — प्रतिपालक कार्यालय में कार्यरत अशोक सिंह जी द्वारा अनेकों छात्रों से असभ्य शब्दों का प्रयोग करते, कार्यालय में मारपीट करने एवं FIR की धमकी दिए जाने के सन्दर्भ में।

महोदय जी
सविनय अवगत कराना है कि प्रतिपालक कार्यालय में कार्यरत अशोक सिंह जी छात्रावास आवंटन हेतु आ रहे छात्रों को असभ्य तरीके से (जिसको कहना है कह दो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कुलपति का चाटुकार) जैसे शब्दों का प्रयोग कर गाली देते हुए छात्रों को कार्यालय से धक्के मार कर भगा दिया जाता है विरोध करने पर पूर्व में छात्रों के भविष्य बर्बाद किए जाने का हवाला देते हुए FIR की एवं छात्रावास में न कमरे देने की धमकी देते हुए छात्रों को मानसिक रूप प्रताड़ित किया जाता है, जिससे छात्रों में भय एवं गुस्से का माहौल है। महोदय जी परीक्षा समाप्त हो जाने एवं छात्रावास शुल्क जमा करने के बाद कक्ष न मिलने, कक्ष हेतु कार्यालय से प्रताड़ित होकर कई छात्र अशोक सिंह के विरुद्ध आवेदन पत्र लेकर कार्यालय गए परन्तु कार्यालय द्वारा पत्र अस्वीकार करते हुए छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही कर देते हैं, महोदय जी विश्वविद्यालय में वर्तमान परिवर्तन को छात्र "राम राज्य" के रूप में स्वीकार कर रहे हैं सभी कार्यक्रमों में प्रतिभाग ले रहे हैं ऐसे समय में मानसिक रूप से अस्वस्थ (ब्लड प्रेशर) व्यक्ति द्वारा अनेकों बार शाब्दिक मर्यादा का उल्लंघन करना एवं छात्रों को FIR की धमकी देना मा॰ कुलपति जी के विचारों की अवहेलना है ऐसे समय में जब छात्र विश्वविद्यालय में अपना पूर्ण योगदान दे रहे ऐसे समय में छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार असहनीय है।

विनयाधिकारी
[signature]
30/1/2024

निस्तारित
[signature]
31.1.24

विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं०वि०वि० वाराणसी

[signature]

अतः महोदय जी CCTV इत्यादि साक्ष्यों की जांच करते हुए कार्यवाही करने की कृपा करें

निस्तारित

विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं०वि०वि० वाराणसी

प्रार्थी -

विवर्धन शर्मा

उज्जवल

कृष्णमणि त्रिपाठी

देवेन्द्र गौतम

कुमारु तेज पाण्डेय

सौरभ गौतम

शिवम शुक्ला

मनीष दिक्षित

कुश तिवारी (सम्पादक...

राहुल राज पाण्डेय

केशव सरस्वत

विश्वास

क्षितिज दुबे

अजित शुक्ल

सत्यम द्विवेदी

अंशु पाण्डेय

निरंजन तिवारी

सुरज दुबे

अभिनीत दुबे।

रोहन तिवारी

निस्तारित
दि 27.12.23

प्रो० दिनेश कुमार गर्ग
चीफ प्राक्टर (विनयाधिकारी)

दूरलेख : ''श्रुतम्''
दूरभाष- 9450229104, 7905528566
E-mail : dr.dkgarg000@yahoo.in
आचार्य, प्राचीन राजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विभाग
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी-२२१००२

पत्रांक- प्रो०प्रा०-1149/2023

दिनांक-24.08.2023

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक,
थाना-चेतगंज पुलिस कमिश्नरेट,
वाराणसी

विषय:- विश्वविद्यालय के नवीन छात्रावास में दो छात्रों के बीच आपसी विवाद के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया छात्र दीपक वत्स एवं हरिओम के संलग्नक पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय के नवीन छात्रावास में रहकर दोनों छात्र पढ़ाई करते है। दोनों छात्रों में दिनांक 23.08.2023 को सुबह स्नान करते समय आपसी विवाद (हाथा पाई, गाली गलौज) हो गया है। इस पर दोनों छात्रों ने लिखित रूप से अपनी-2 शिकायत की है।

अतः उपर्युक्त प्रकरण सम्बन्धित दोनों शिकायती पत्रों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।

OK

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ। 25/8/23 12:15PM
2. आशुलिपिक कुलसचिव। 25/08/23

प्राप्त 25/8/23

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।

प्रो० दिनेश कुमार गर्ग
चीफ प्राक्टर (विनयाधिकारी)

दूरलेख : ''श्रुतम्''
दूरभाष- 9450229104, 7905528566
E-mail : dr.dkgarg000@yahoo.in
आचार्य, प्राचीन राजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विभाग
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी-२२१००२

पत्राङ्क प्रो०प्रा०-149/2023

दिनाङ्क- 24.08.2023

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक,

थाना-चेतगंज पुलिस कमिश्नरेट,

वाराणसी

विषयः- विश्वविद्यालय के नवीन छात्रावास में दो छात्रों के बीच आपसी विवाद के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया छात्र दीपक वत्स एवं हरिओम के संलग्नक पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय के नवीन छात्रावास में रहकर दोनों छात्र पढ़ाई करते है। दोनों छात्रों में दिनांक 23.08.2023 को सुबह स्नान करते समय आपसी विवाद (हाथा पाई, गाली गलौज) हो गया है। इस पर दोनों छात्रों ने लिखित रूप से अपनी-2 शिकायत की है।

अतः उपर्युक्त प्रकरण सम्बन्धित दोनों शिकायती पत्रों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।

O/C

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ। 25/8/23 12:15PM
2. आशुलिपिक कुलसचिव। 25/08/23

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक,

थाना-चेतगंज पुलिस कमिश्नरेट,

वाराणसी

विषयः- विश्वविद्यालय के नवीन छात्रावास में दो छात्रों के बीच आपसी विवाद के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया छात्र दीपक वत्स एवं हरिओम के संलग्नक पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय के नवीन छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं। दोनों छात्रों में दिनांक 23.08.2023 को सुबह स्नान करते समय आपसी विवाद (हाथा पाई, गाली गलौज) हो गया है। इस पर दोनों छात्रों ने लिखित रूप से अपनी-2 शिकायत की है।

अतः उपर्युक्त प्रकरण सम्बन्धित दोनों शिकायती पत्रों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक कुलसचिव।

विनयाधिकारी
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी।

05A.

सेवा में,

थाना प्रभारी निरीक्षक,

थाना चेतगंज, पुलिस कमिश्नरेट,

वाराणसी

विषय – विश्वविद्यालय के नवीन छात्रावास में दो छात्रों के बीच आपसी विवाद के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दीपक वत्स एवं हरिओम के संलग्नक पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। दोनों छात्र नवीन छात्रावास सं०सं०वि०वि० वाराणसी में रहकर पढ़ाई करते हैं। दोनों छात्रों में दिनांक-23.08.23 को सुबह स्नान करते समय आपसी विवाद (हाथा पाई, गाली-गलौज) हो गया है जिस पर दोनों छात्रों ने लिखित रूप से अपनी-अपनी शिकायत की है।

अतः उपर्युक्त प्रकरण सम्बन्धित दोनों शिकायती पत्रों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।

विद्याधिकारी
सं०सं०वि०वि० वाराणसी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

2- ~~छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष सं०सं०वि०वि०~~ वाराणसी

3 आशुलिपिक कुलसचिव।

4- ~~[illegible]~~ छात्र दीपक वत्स एवं हरिओम नवीन छात्रावास

(विद्याधिकारी)
सं०सं०वि०वि० वाराणसी

श्री,

दिनांक-
23/08/2023

श्रीमान् चीफ प्रॉक्टर महोदय,
सं. सं. वि. वि. वाराणसी।

प्र०का०सं०- 145/2023
दिनांक- 24/08/23

विषय-: नवीन छात्रावास में मेरे साथ हुए मारपीट के संबंध में।

महोदय,

मेरे ऊपर बिना किसी कारणवश अचानक धुरन्धर, हरिओम तथा तीन अन्य मित्रों के साथ मिलकर मारपीट एवं गाली-गलौज किया गया। जिसमें मेरे शरीर पर बहुत सारे चोट निशान के रूप में साक्ष्य हैं। तथा मस्तिष्क के पिछले हिस्से में सूजन हो गया है।

निस्तारित

विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं०वि०वि० वाराणसी

उपर्युक्त घटना सुबह 7:30 बजे की है। जो कि नवीन छात्रावास के कमरा नं 108 के सामने हुआ।

अतः महोदय, से निवेदन है कि उपर्युक्त घटना के विषय में उचित कार्यवाही करने की महती कृपा करें।

प्रत्यक्षदर्शी-
1. नीतीश कुमार ठाकुर (9128454792)
2. शत्रुघ्न पाठक (9973000929)
3. राजू मिश्रा (6299913308)

प्रार्थी
दीपक वत्स (कमरा सं. 114 नवीन छात्रावास)
National Awarded
(संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार)
(9128372932)

दि० 23.8.23

23/08/2023

प्र०स०— 149/2023
24/08/23

श्री मान सुरक्षा अधिकारी महोदय
सं सं वि वि वाराणसी

विषय → छात्रावास मे अनावश्यक विवाद के विषय में

सविनय निवेदन है कि मै प्रार्थी हरिओम आचार्य प्रथम वर्ष का छात्र हूँ।
महोदय मै सुबह स्नान करने के लिये नल के पास गया और उसी समय दीपक नाम का एक छात्र आया और दीर्घ शंका किये हुये हाथो को मेरी बाल्टी के जल के अन्दर धुलने लगा मेरे मना करने पर मेरे ऊपर हाथ से लात से मुक्के से प्रहार किया और गाली गलौज करने लगा जिससे अपने बचाव मे मैनें भी उस पर प्रहार करने की कोशिश की और वह अपने साथियों को बुला कर डंन्डे से मे हाथ मे प्रहार करवाया।

निस्तारित

नियमाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं०वि०वि० वाराणसी

अतः श्री मान जी से विनम्र निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच करते हुए मुझे न्याय दे।

प्रार्थी — ~~हरिओम~~
हरिओम
कक्षा — आचार्य I

हिमांशु मिश्रा
विकास

सेवा में,

दिनांक– 16/08/2023

चीफ प्राक्टर जी,

सं०सं०वि०वि०,वाराणसी

निस्तारित

15-11-23

विनयाधिकारी
सम्पूर्णानन्द सं०वि०वि० वाराणसी

विषय– बिजली के सन्दर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी सुभाष राय कर्मचारी आवास में कमरा नम्बर ए/14 में रहता हूँ। वर्तमान में मेरे घर के पीछे श्री पिन्टू सफाई कर्मी का आवास है जिनके सामने घर के बरामदे से प्रतिदिन रात में प्रकाश मेरे घर के बरामदे में आ रहा है। जिससे रात में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मौखिक रूप से कहने पर भी अद्यावधि कोई कार्यवाही नहीं किये। जबकि मेरे द्वारा यह भी कहा गया कि आप रात 11:00 बजे तक लाईट जला दें लेकिन वो पूरी रात लाईट जला कर रखते है जिससे सोने में भी दिक्कत आती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रकरण को दृष्टिगत करते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर,

17.8.23

भवदीय

सुभाषराय

(सुभाष राय)
परिचारक
सं०सं०वि०वि०,वाराणसी

सूचना
विश्वविद्यालय में आने वाले सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं
आगन्तुक जिनका विश्वविद्यालय में कोई कार्य है। वह अपने कार्यों के लिये
जनसम्पर्क अधिकारी, कुलसचिव एवं कुलपति महोदय से सम्पर्क करें।
एतदर्थ किसी अन्य को अधिकृत नही किया गया है।
आज्ञा से - कुलसचिव
शिकायत पेटिका